न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3090 सन 2026

CNR. No.UPSP 01007245 2026

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र महीपाल निवासी ग्राम नूनीहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर।

2. प्रिन्स कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी वार्ड न0–4 मौहल्ला तेलीयान बुडिया थाना यमुनानगर, हरियाणा। वर्तमान निवासी ग्राम नूनीहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 183/2026
धारा–308(5), 308(6), 61(2) बी0एन0एस0
थाना–बेहट जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सुरेन्द्र कुमार एवं प्रिन्स कुमार** ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **दिनांक 08.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अजीत कुमार पुत्र पदम सिंह का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी धनपाल सिंह द्वारा थाना बेहट सहारनपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह मै0 शान्ति एण्टरप्राईजेज नामक फर्म का साझीदार है। उक्त फर्म को ग्राम नुनयारी अहतमाल तहसील बेहट सहारनपुर में नदी तल में खनन पट्टा पॉच वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है। विपक्षीगण सुरेन्द्र, प्रिंस, ईश्वरपाल, अंशुल एवं गौरव मिश्रा पत्रकार व अन्य व्यक्तियो द्वारा उसके खनन पटटे पर आकर झूठी विडियो एवं खबरें चलाकर, वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाया जा रहा था। विपक्षीगण द्वारा उसके खनन पटटे पर अपने आदमी भेजकर उसके कर्मचारियो को डराया धमकाया जा रहा था तथा उच्च अधिकारियो को झूठी शिकायतें की जा रही थी। विपक्षी प्रिन्स व ईश्वर के द्वारा वादी को ग्राम नुनयारी में बिना व्यवधान के खनन पटटा चलाने के लिए उससे दो करोड रूपये की मांग की गयी तथा पटटे पर उनके जेसीबी/पोकलेन चलवाने की बात कही गयी। उनके द्वारा समय समय पर विपक्षीगण की मांग के अनुसार कभी 10 हजार रूपये कभी 50 हजार रूपये अपने मैनेजर के माध्यम से दिलवाये गये। विपक्षीगण से परेशान होकर वादी द्वारा विपक्षीगण की शिकायत जिलाधिकारी/ खनन विभाग को गयी। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा को अवगत कराया गया कि सुरेन्द्र का गिरोह फर्जी विडियो व खबरे अपने चैनल पर चलाकर उनका उत्पीडन कर रहा है। झूठे मुकदमे में फसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है। विपक्षीगण की धमकियो से डरकर फर्म से दिनांक 18.04.2026 को 50 लाख नगद कैश निकाला गया परन्तु जब वह यह रकम लेकर विपक्षीगण के पास जा रहे थे तो रास्ते में ज्ञात हुआ कि वासुदेव स्टोन क्रेशर से विपक्षीगण को कर्ण से रंगदारी वसूली करके आते समय पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया है। विपक्षीगण द्वारा रंगदारी वसूलने, जान से मारने की धमकी देने, शासन व प्रशासन में झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेल करते हुए उगाही करने व खनन पटटे पर सरकार को भेजे जाने वाले राजस्व की हानि करने व सोशल मीडिया पर झूठी खबरे प्रस्तावित कर वादी व उसके परिवार की सामाजिक छवि को खराब करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

वादी की उक्त तहरीर के आधार थाना बेहट पर अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार, प्रिन्स, ईश्वरपाल, गौरव मिश्रा पत्रकार व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के करीब 08 दिन बाद विधिक सलाह के आधार पर दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही कथित घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी है। अभियुक्तगण की मु0अ0सं0–171/2026 व 172/2026 के प्रकरण में फर्जी गिरफतारी दिखाकर उक्त दोनो मामलो में अभियुक्तगण को जेल भेजने के बाद इस मामले में उनका वारण्ट बनवाया गया है और इस मामले में अभियुक्तगण दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को तोडने की सम्भावना नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एंव केस डायरी का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर खनन पटटे दारो से अवैध वसूली करने का आपराधिक षडयंत्र रचकर वादी के खनन पटटे के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियो को झूठी, शिकायत कर, फर्जी विडियो व खबरे चलाकर वादी पर दबाव बनाकर उससे धन की अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी के पर्चा सं0–3 पर अंकित वादी द्वारा अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनो का समर्थन करते हुए अन्य सह अभियुक्तगण के साथ आवेदक/अभियुक्तगण सुरेन्द्र एवं प्रिन्स द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके खनन पटटे पर आकर हंगामा कर झूठी विडियो एवं खबरे चलाकर वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाने, अन्य स्थानो के खनन की फोटो को वादी के पटटे से जोडकर झूठी खबरें चलाकर वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाने और उससे समय समय पर कभी दस हजार कभी पचास हजार, कभी एक लाख की वसूली करने का कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं0–3 में दौरान विवेचना वादी द्वारा विवेचक को प्राप्त करायी गयी पैनड्राईव में 06 विडियो होना और उनमे अभियुक्तगण द्वारा वादी से पैसे के लेन देन व डराने धमकाने की गतिविधिया करते हुए दिखाई देना अंकित किया गया है। केस डायरी पर अंकित स्वतंत्र गवाह आदेश सिंह, जो मै0 जय लक्ष्मी स्टोन क्रेशर का एवं अन्जर अली जो के0जी0एफ0मिनरल्स प्रा0लि0 स्टोन क्रेशर के स्वामी है के द्वारा भी अपने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्तगण सुरेन्द्र व प्रिन्स द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा अपने विडियो चैनल के माध्यम से उनका नाम लेकर उन्हे ब्लैकमेल करने , स्टोन क्रेशर सील करवाने की धमकी देने और उनसे अवैध रूप से धनराशि वसूल करने का कथन किया है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि केस डायरी पर विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं अन्य स्टोन क्रेशर मालिको को आपराधिक अभियोग में फसाने उनका स्टोन क्रेशर सील कराने की धमकी देकर रंगदारी वसूल करने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण इसी प्रकार के अपराध करने का अभयस्त है तथा उनके विरूद्ध इस मामले के अतिरिक्त मु0अ0सं0–171/2026 धारा–308(5),308(6),61(2) बी0एन0एस0 एवं मु0अ0सं0–172/2026 धारा–308(5),308(6),61(2) बी0एन0एस0 थाना बेहट सहारनपुर पर पंजीकृत है। प्रस्तुत मामले में दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अवर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त गौरव मिश्रा का जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक 02.06.2026 को एवं ईश्वरपाल का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 15.07.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त न होने के कारण, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेन्द्र कुमार एवं प्रिन्स कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891